

प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 30.05.2024

**थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 139/24 धारा- 379/411 भादवि से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तगण को चोरी की गयी 01 मोटर साइकिल सहित किया गिरफ्तार।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 139/2024 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित 01. राजेश वर्मा पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी बिराबाग वार्ड नं0 8 थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ 02.अमन शाक्य पुत्र खुन्नू लाल निवासी भट्टा वाली गली बालाजीपुरम थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ को मय चोरी की गयी 01 मोटर साइकिल संख्या UP 76 N 5753 हीरो होण्डा पैशन प्रो के साथ आज दिनांक 30.05.2024 को पांचाल घाट पुल के पास थाना कादरीगेट जनपद फर्रुखाबाद से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।



**घटना का विवरण:-** दिनांक 25.05.2024 को अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा श्री सरवन पुत्र श्री मेघनाथ निवासी ग्राम अजमतपुर थाना मऊदरवाजा की मोटरसाइकिल को कादीरीगेट चौराहा के पास वेदान्ता अस्पताल के पास से चुरा लेने जाने पर वादी मुकदमा की सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 139/2024 धारा 379 पंजीकृत हुआ था ।

**पूछताछ का विवरण:-** अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हम लोग मौका पाकर मोटर साइकिल चोरी करके बेच देते हैं। दिनांक 25.05.2024 को भी हमने यह मोटरसाइकिल वेदान्ता अस्पताल के पास कादीरगेट तिराहा से चुरा लिया था । जिसे हम राजेपुर बेचने जा रहे थे । तभी हम लोगो को आपने पकड़ लिया ।

**बरामदगी का विवरण:-** अभियुक्तगणों के कब्जे से चोरी की गयी मोटर साइकिल संख्या UP 76 N 5753 हीरो होण्डा पेशन प्रो बरामद होना ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

01. राजेश वर्मा पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी बिराबाग वार्ड नं0 8 थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ उम्र 23 वर्ष
- 02.अमन शाक्य पुत्र खुन्नू लाल नि0 भट्टा वाली गली बालाजीपुरम थाना कादरीगेट जन0 फतेहगढ उम्र 24 वर्ष

**गिरफ्तार करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम :-**

1. व0उ0नि0 जगदीश वर्मा
2. उ0नि0 राजूलाल माथुर
3. आरक्षी ध्रुव प्रताप सिंह
4. आरक्षी नेतराम
5. आरक्षी अनुज कुमार

**मीडिया सेल फतेहगढ ।**

**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

**थाना शमसाबाद**

**दि0- 30-05-2024**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण- 1.अशोक पुत्र बाबूराम, 2.विनोद पुत्र बाबूराम, 3.कुलदीप पुत्र बाबूराम समस्त निवासीगण चीटन नगला थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 331/2006 वाद स०- 296/2006 धारा- 302/307 भादवि थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 30.05.24 को मा० न्यायालय ए०डी०जे०-07 कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभि०गण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 25-25 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी-श्री संजीव कुमार मिश्रा



कोर्ट मोहरीर हे०का० सचिन कुमार



पैरोकार का० देवेन्द्र कुमार



# फतेहगढ़ पुलिस



**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

**थाना शमसाबाद**

**दि०- 30-05-2024**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त अशोक पुत्र बाबूराम निवासी चीटन नगला थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०-340/2006 वाद स०- 189/2006 धारा- 25/27 आर्म्स एक्ट थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 30.05.2024 को मा० न्यायालय ए०डी०जे० -07 कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभि० को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कारावास व 04 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी-श्री संजीव कुमार मिश्रा



कोर्ट मोहरीर हे०का० सचिन कुमार



पैरोकार का० देवेन्द्र कुमार

**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

**थाना शमसाबाद**

**दि०- 30-05-2024**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त विनोद पुत्र बाबूराम निवासी चीटन नगला थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०-341/2006 वाद स०- 299/2006 धारा- 25/27 आर्म्स एक्ट थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 30.05.2024 को मा० न्यायालय ए०डी०जे० -07 कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभि० को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कारावास व 04 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी-श्री संजीव कुमार मिश्रा



कोर्ट मोहरीर हे०का० सचिन कुमार



पैरोकार का० देवेन्द्र कुमार



